बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना एक पूर्ण सरकारी संस्था है, जो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सीधे नियंत्रण में राज्य स्तरीय संगठन है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् का गठन आदेश सं0–75/Dir दिनांक–31.05.1955 द्वारा किया गया है एवं इसका संचालन आदेश सं0–463 दिनांक–07.11.1956 से किया जा रहा है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् का मुख्य कार्य परीक्षा का संचालन, सभी डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का संबर्द्धन एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम निर्धारण करना एवं डिप्लोमा प्रदान करना हैं। उपरोक्त कार्यो के संचालन हेतु पूर्व से हीं माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर प्रत्येक तीन वर्षों पर संकल्प के माध्यम से तीन वर्षो के लिए पर्षद् का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नामित करते हुए पर्षद् का अवधि विस्तार किया जाता रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, को पुर्नगठित करते हुए उसका अवधि विस्तार अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए किया जाता है।

(II) पुर्नगठित पर्षद् के निम्नांकित सदस्य होंगे।

1.	विभागीय मंत्री	–	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	–	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
4.	उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, कानपुर के प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
6.	श्राजकीय पोलिटेकनिक के वरीयतम प्राचार्य	–	सदस्य
7.	अभियंता प्रमुख या उनके प्रतिनिधि, ऊर्जा विभाग	–	सदस्य
8.	सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद् पटना	–	सदस्य सचिव
उद्योग के प्रतिनिधिः–			
9.	सी0आई0आई0, बिहार, के प्रतिनिधि	–	सदस्य
10.	बिहार औद्योगिक संघ के प्रतिनिधि	–	सदस्य
गैर सरकारी सदस्यः–			
11.	निदेशक, बी0आई0टी0 पटना	–	सदस्य
12.	निदेशक, एन0आई0टी0, पटना अथवा उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य

(III) विभागीय संकल्प सं0– 536 दिनांक–19.03.2009 में उल्लिखित पर्षद् के कृत्य एवं शक्तियॉ यथावत् रहेंगी।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक–एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दिया जाय तथा 100 प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

उप सचिव

ज्ञापांक :– वि०प्रा०–व^2–37 / 2004 पटना / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर उसकी एक–एक प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेज देंगे एवं 20 प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

उप सचिव

ज्ञापांक :– वि०प्रा०–व^2–37 / 2004 पटना / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– वि०प्रा०–व^2–37 / 2004 पटना / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव / निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

ज्ञापांक :– वि०प्रा०–व^2–37 / 2004 2401 पटना / दिनांकः– 4-10-017

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि क्रमांक–4, 7, 9, 10 एवं 12 में अंकित विभागों से पत्राचार मनोनित प्रतिनिधि के नाम की सूची प्राप्त कर लेंगे। विभाग के सभी पदाधिकारियों / सहायकों / कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/10/17

उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

3/10/17